निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
7/2014	10.1.2014	12.11.2016

हीरालाल पुत्र रामप्रसाद, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
——वादी

बनाम

1. शांतीलाल पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. भजनलाल पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
3. प्रहलाद पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
4. मदनमोहन पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
5. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र, एडवाकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की सहखातेदारी की भूमि ख0नं0 366 रकबा 54 एयर ग्राम हिंगोट्या में है। इसमें वादी एवं प्रतिवादीगण हिस्सा 1/2—1/2 के खातेदार टीनेन्ट हैं। मौके पर एवं राजस्व अभिलेख में भूमि शामिल में दर्ज है इसलिए पक्षकारों के मध्य आये दिन विवाद होते रहते हैं। दिनांक 5.1.14 को वादी ने प्रतिवादीगण से भूमि का बंटवारा तहसील में चलकर कराने `तु कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया । अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर ग्राम हिंगोट्या में स्थित भूमि ख0नं0 366 रकबा 54 एयर का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादी नं0 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया कि इस भूमि में वादी 1/2 हिस्से का खातेदार नहीं है। सही बात यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मिर्जापुर स्थित मकान एवं भूमि का बंटवारा हुआ है। प्रतिवादीगण के हिस्से यह पूरी भूमि आई है। वादी के हिस्से में मिर्जापुर में मुख्य सडक पर स्थित मकान की रिहायशी भूमि आई है। ख0नं0

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

366 के सम्पूर्ण रकबे को आज भी प्रतिवादीगण ही काश्त करते हैं। इस बंटवारे को हुए लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं । प्रतिवादीगण एवं वादी की अन्य भूमि ख0नं0 334 रकबा 2.04 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या में स्थित है जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। यह आधी भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में है। जब भूमि का विभाजन होता है तो सम्पूर्ण खातेदारी का विभाजन होना आवश्यक होता है । वादी ने केवल एक खसरा नम्बर का विभाजन चाहा है जो कानूनी रूप से गलत है । ख0नं0 366 का पहले से ही सहमति से बंटवारा हो चुका है एवं यह सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में आई है तो अब दुबारा बंटवारा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः—

1. आया भूमि हाल खस0नं0 366 रकबा 0.54 हैक्टर भूमि ग्राम हिंगोट्या में स्थित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का हिस्सा बराबर 1/2—1/2 है।

2. आया वादी भूमि ख0नं0 366 रकबा 0.54 हैक्टर स्थित ग्राम हिंगोट्या का अपने हिस्से अनुसार विभाजन करवाने का अधिकारी है।

3. आया वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा करीब 35 वर्ष पूर्व विभाजन हो गया है तथा विभाजन में उक्त भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में आई है।

4. आया वादी ने भूमि हाल ख0नं0 334 रकबा 2.04 हैक्टर स्थित ग्राम हिंगोट्या को दावे में शामिल नहीं किया है इस बिना पर भी दावा वादी चलने योग्य नहीं है।

5. अन्य दादरसी ।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श एवं नकल जमाबंदी सम्बत् 2067—2070 पेश की है ।

प्रतिवादी ने अपने जबाब के समर्थन में नजरी नक्शा, नकल नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांदी सं0 2067 से 2070 पेश की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी जाकर वादी का वाद दिनांक 12.3.2016 को प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से दिनांक 1.6.2016 को विभाजन स्कीम प्राप्त हुई जो पत्रावली में संलग्न है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हीरालाल बनाम शांतीलाल वगैरा, दावा

पत्रावली दिनांक 12.11.2016 को लोक अदालत में रखी गई। उभयपक्ष के विद्वान वकील तहसील गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का पक्षकारों के मध्य विभाजन करने पर सहमत हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि 366 रकबा 54 एयर ग्राम हिंगोट्या का वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता हैः–

1. वादी धनवाई बेवा रामप्रसाद, हीरालाल पुत्र रामप्रसाद जाति रैगर निवासी मिर्जापुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 366 रकबा 27 एयर ग्राम हिंगोट्या रहेगी।

2. प्रतिवादी शान्तीलाल, भजनलाल, प्रहलाद, मदनमोहन पुत्रगण मांगीलाल जाति रैगर निवासी मिर्जापुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 366/1 रकबा 27 एयर ग्राम हिंगोट्या रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी । पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

हीरालाल पुत्र रामप्रसाद, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी

––वादी

बनाम

1. शांतीलाल पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. भजनलाल पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
3. प्रहलाद पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
4. मदनमोहन पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
5. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसील गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन

मुकदमा नं. – 7/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि 366 रकबा 54 एयर ग्राम हिंगोट्या का वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:–

1. वादी धनवाई बेवा रामप्रसाद, हीरालाल पुत्र रामप्रसाद जाति रैगर निवासी मिर्जापुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 366 रकबा 27 एयर ग्राम हिंगोट्या रहेगी।

2. प्रतिवादी शान्तीलाल, भजनलाल, प्रहलाद, मदनमोहन पुत्रगण मांगीलाल जाति रैगर निवासी मिर्जापुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 366/1 रकबा 27 एयर ग्राम हिंगोट्या रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.11.2016 को जारी किया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी